

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अल्मोडा की देशी/विदेशी मदिरा/वीयर दुकानें विगत वर्ष की आबकारी नीति के अनुसार ही माह मई 2017 हेतु निर्धारित/आगणित राजस्व पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 31.03.2017 तथा आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1035 दिनांक 29.04.2017 के अनुसार संचालित कराई जानी हैं। जनपद की निम्नांकित मदिरा दुकानों को माह मई 2017 हेतु निर्धारित राजस्व पर संचालित करने हेतु इच्छुक आवेदकों से सीलड लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	माह मई हेतु ला0फीस	माह मई हेतु अधिभार	माह मई हेतु कुल राजस्व
1	पण्डुवाखाल	देशी मदिरा	54000	625969	679969
2	कफड़ा	देशी मदिरा	56000	650198	706198


उपरोक्त दुकानों में से यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकान के लिए सर्वाधिक राजस्व का आफर करने वाले आवेदक को दुकान आवंटन करने पर विचार किया जायेगा। उक्त दुकानों एवं उनके निर्धारित राजस्व से सम्बन्धित सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,  
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

संख्या 71 / पाँच-आब0/व्यवस्थापन/2017/दिनांक:मई 05, 2017  
प्रतिलिपि -

1. जिला अधिकारी, अल्मोडा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में दिनांक 06.05.2017 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोडा की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोडा/सूचना पट समस्त तहसीलें जनपद अल्मोडा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

  
जिला आबकारी अधिकारी  
अल्मोडा।